दिनांक 30.07.2024 ''स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई''

बकाया राशि जमा करने के लिए लगाया गया लोन मेला

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत स्लम क्षेत्र में किरायेदारी के रूप में निवासरत बेघर परिवारो को आबंटित मकान दिलाने के लिए लोन मेला लगाया गया। लॉटरी सिस्टम के द्वारा 815 आबंटितो को मकान आबंटित किया गया जिसमे 611 हितग्राहियों के द्वारा आवास आबंटन का पूर्ण राशि जमा नही किया गया। उनके द्वारा अभी तक केवल 10 प्रतिशत राशि जमा किया गया है। शेष राशि उनके द्वारा जमा नहीं कर पाने के कारण मकान का आधिपत्य नहीं मिल पा रहा है। हितग्राहियो की सुविधा के लिए नगर निगम भिलाई के पहल पर बैंकों के साथ संयुक्त रूप से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन गौरव पथ बैकुण्ठधाम में बैंक के माध्यम से लोन मेला का आयोजन किया गया। हितग्राहियो को व्यक्तिगत फोन करके एवं समाचार पत्रो के माध्यम से भी सूचना प्रदान की गई। हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके मकान हेतु निर्धारित राशि जमा कर सकते है, जमा करने के बाद उन्हे अधिपत्य प्रदान किया जाएगा। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी 611 हितग्राहियो से अपील की है कि शीध्र शेष राशि जमा कर मकान का अधिपत्य प्राप्त कर ले। एक समय अवधि के पश्चात आबंटित मकान निरस्त हो जायेगा, अन्य जरूरतमंद को नियमानुसार आबंटित कर प्रदान किया जा सकता है। प्रभारी योजना अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया लोन की प्रक्रिया एकदम सरल है 24 घंटे के अंदर लोन प्राप्त हो जायेगा। अपनी क्षमता के अनुसार लोन प्राप्त कर सकते है, किराये में निवासरत हितग्राही जितना राशि अपने घर के किराये के रूप में देते है उतनी ही राशि बैंक को किश्त के रूप में देके अपना मकान प्राप्त कर सकते है। यह सुविधा नगर निगम भिलाई द्वारा सभी हितग्राहियो को प्रदान की जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लेवे। आबंटन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए मुख्य कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है। आयोजित आवास ऋण मेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी डी के वर्मा ,सहायक अभियंता अजय गौर उप अभियंता दीपक देवांगन आवास अधिकारी विद्याधर सूडा के इंजीनियर उतपल शर्मा तकनकी एक्सपर्ट अभिषेक बजाज एवम संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।